अतारांकित प्रश्न संख्या : 408
दिनांक : 28.03.2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री. रघुविंद्र शौकीन
विभाग का नाम : महिला एवं बाल विकास विभाग
विभाग का पता : 1ए, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

प्रश्न सं.408	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कौन-सी योजनाएं बनाई है, उनका विवरण दें;	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही हैं। महिला विकास योजनाएं • काम काजी महिलाओं के लिए हॉस्टल • गर्भवती एवंम स्तनपान करने वाली महिलओं हेतु आश्रय गृह वित्तीय सहायता योजनाएं • दिल्ली लाडली योजना • विधवा एवमं निराक्षित महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना • विधवा की पुत्री / अनाथ कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना उपरोक्त योजनाओं की जानकारी संलग्न है।
(ख)	इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर पिछले 10 वर्षों में कितना खर्चा किया गया;	इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर पिछले 10 वर्षों में किए गए खर्चों का विवरण संलग्न है।
(ग)	महिलाओं और बच्चों के लिए विभाग क्या-क्या गतिविधियां कर रहा है, उसका विवरण दें; और	महिलाओं और बच्चों के लिए विभाग मुख्य गतिविधियां निम्न है: - • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला तथा बाल कल्याण सम्बंधित विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए जाते है • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला तथा बच्चों से सम्बंधित 26 संस्थाएं चलाई जाती है, जिनमें सम्वासियों के लिए मुफ्त भोजन, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा मनोरंजन गतिविधियां इत्यादि की सुविधाएँ दी जाती है • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 बाल कल्याण समितियां तथा 5 किशोर न्याय बोर्ड का संचालन किया जाता है • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 10897 आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे है, जिनमें बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य सम्बंधित सेवाएँ आदि प्रदान की जाती है • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम ,2005घरेलु हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम उन्मूलन अधिनियम 1959, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किए जाते है • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओ हेतु आश्रय गृह तथा कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास चलाए जा रहे है
(घ)	महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में विभाग की क्या भूमिका रही है और इस दिशा में कौन-कौन से कदम उठाये गये है ?	क. प्रत्येक जिले में घरेलु हिंसा अधिनियम (2005) के सफल क्रियान्वन हेतु संरक्षण अधिकारीयों की नियुक्ति की गई है जिनका कार्य घरेलु घटना विवरणिका बनाना है. वर्तमान में इनकी संख्या 17 है. ख. महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013- इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी के रूप मे मनोनीत किया गया है जो अधिनियम की धारा 06 के तहत स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा जो लैंगिक उत्पीडन की उन शिकायतो को प्राप्त करेगी जहाँ 10 कर्मचारियो से कम होने के कारण आन्तरिक शिकायत समिति का गठन नही किया गया है अथवा अगर शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरूद् हो। ग. इस विभाग द्वारा महिलाओ एवं बच्चों की तस्करी से निपटने एवं पुनर्वास हेतु नीति का मसौदा तैयार किया गया है यह मसौदा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।वर्तमान में इस मसौदा पर सुझाव आमंत्रित किये गये

Shuchi
For Naveen
उप निदेशक(लाडली)

		है। घ. महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित कोर ग्रुप माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाया गया है जिसमें हितधारक विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग , शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, दिल्ली नगर निगम इत्यादि शामिल है। जिसका मुख्य कार्य सार्वजनिक स्थानो को ऑडिट करना एवं सुरक्षा सम्बन्धित जरूरी कदम उठाना है। इस कोर ग्रुप की बैठको में निम्न सुरक्षा कदम उठाये गये है:- 1. दिल्ली में अँधेरी कॉलोनियाँ , अँधेरे रास्तों एवं क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटस की व्यवस्था की गई है । 2. परिवहन साधनो में महिला सुरक्षा हेतु महिला हेल्पलाइन नं0 प्रदर्शित किये जा रहे है। स्कूलों मे पुलिस विभाग की माध्यम से बालिकाओं को स्वयं सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उप-निदेशक (लाइली)

महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा संचालित योजनाएं

(प्रश्न संख्या 408 के बिन्दु संख्या (क) एवं (ख) हेतु संक्षिप्त सार)

1. - **गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओ हेतु आश्रय गृह :-** इन् संस्थाओं मे निराश्रित गर्भवती महिलाओं के साथ -साथ बलात्कार पीड़िता गर्भवती महिलाएं जिन्हे पुनर्वास की आवश्यकता है को भी आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है. वर्तमान मे ऐसी दो संस्थाएं हैं जिन्हे यंग वीमेन क्रिस्टियन एसोसिएशन के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित किया जाता है :-

अ. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन ए ब्लॉक, जांहगीर पूरी दिल्ली

ब. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन, चन्द्र शेखर आज़ाद कालोनी, सराय रोहिल्ला दिल्ली.

विगत 10 वर्षो मे किया गया खर्चा :- उक्त आश्रय गृहों में सन 2011 से आज दिनांक तक 4,68,19,000/- रूपये का खर्चा किया गया है।

क्र0सं0	वर्ष	दिया गया अनुदान
१	फरवरी 2011 - मार्च 2011	63,00,000/- रूपये
२	2011	-
३	2012-13	42,00,000/- रूपयें
४	2013-14	69,85000/- रूपयें
५	2014-15	74,45,000/- रूपयें
६	2015-16	68,39000/- रूपयें
७	2016-17	77,00,000/- रूपयें
८	2017-18	73,50,000/- रूपयें
	कुल योग	**4,68,19,000/- रूपयें**

2. **कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास :-** दिल्ली मे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित व घर जैसा वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने दो कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना की है. इन् छात्रावासों की देखभाल की जिमेदारी यंग वीमेन क्रिस्टियन एसोसिएशन को दी गयी है.

पात्रता मानदंड- कामकाजी महिलाएं/अविवाहित /विधवा/तलाकशुदा/ पति से अलग रह रही महिलाएं।

अ. प्रियदर्शनी छात्रावास ,विश्वास नगर, दिल्ली

ब. रोहिणी छात्रावास सेक्टर 22 रोहिणी, दिल्ली

विगत 10 वर्षो मे किया गया खर्चा :- रोहिणी छात्रावास में केवल एकमुश्त फर्नीचर खरीदने हेतु 73,00,000/- रूपये का अनुदान एनजीओ YWCA को दिया गया है।

क्र0सं0	छात्रावास का नाम	वर्ष	एकमुश्त दिया गया अनुदान
१	रोहिणी छात्रावास	2013 - 14	45,00,000/- रूपये
२	रोहिणी छात्रावास	2014-15	28,00,000/- रूपये
	कुल योग		**73,00,000/- रूपयें**

Supplementary for Unstarred question no. 408 by Sh. Raghuvinder Shaukeen Hon'ble M.L.A.

Delhi Ladli Scheme-2008

The Delhi Govt. launched the "Ladli Scheme" on 01.01.2008 for empowerment of girl children who are born in Delhi. The scheme aims at controlling female feticide, improving the sex ratio and to educationally and financially empower the girls. It is promoting education among girls, reducing the school drop out rate of girl students and providing security to them for their higher education.

Eligibility Criteria under the scheme are as under:-

- Girl should be born in Delhi
- Residence in Delhi for last three years.
- Annual family income should not exceed Rs.1 (one) Lakh.
- If girl is school going, her school must be recognized by Delhi Govt./MCD/NDMC.
- Benefit of scheme is limited to two surviving girls in a family.

The SBIL is the Fund Manager of the scheme and the fund value of the deposit grows with the growth of the child. The scheme provides for financial assistance in the form of investments in the name of the girl child, deposits funds at various milestones and safely hands over the funds at maturity with the cumulative/acquired return.

Under this scheme Rs.11000/- are deposited in the name of the girl child if she is born in a hospital/ nursing home in NCT of Delhi on or after 1st January 2008 and Rs.10000/- if she is born at home or other than hospital/nursing home.

Rs.5000/- is deposited in the name of girl child on admission in classes I, VI, IX XI and XII.

The maturity amount can be claimed when the girl child attains 18 years of age and passes class X as a regular student or she passes class XII.

It is mandatory to file maturity claim by the girl in the concerned District Office to receive the amount and accrued interest there upon through Electronic Fund Transfer (EFT).

The year-wise details of the expenditure spent so far on the scheme are as follows: -

Sl. No.	Financial Year	Expenditure (₹ in Corers)
1.	2008-09	86.44
2.	2009-10	86.97
3.	2010-11	89.26
4.	2011-12	92.90
5.	2012-13	95.50
6.	2013-14	103.88
7.	2014-15	95.64
8.	2015-16	101.92
9.	2016-17	96.67

Dy. Director (Ladli)

Delhi Pension Scheme to women in Distress (earlier the name of the Scheme was known as Widow Pension)

Aims and Objective of "Delhi Pension Scheme to women in Distress" (Widow Pension Scheme):-

- To provide social security by way Financial Assistance to Widows, Divorced, Separated, Abandoned, deserted or Destitute women in the age group of 18 years to life long who have no adequate means of subsistence and are poor, needy and vulnerable. Her family's annual income does not exceed Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lacs)
- All new applicants shall have to furnish Aadhar number and Aadhar seeded account shall be a must for transfer of benefit.
- The assistance of Rs. Two thousand five hundred (Rs. 2500/-) per head is remitted on monthly basis to the bank account of the beneficiary through Aadhar base payment (PFMS Portal/DBT).

Eligibility Criteria:-

- She has been residing in Delhi for more than 5 years preceding the date of application
- She has a 'singly- operated' account in any bank for receiving the payment through electronic clearing system
- She is not receiving any pension from Central Govt./State Govt./MCD and/or NDMC or any other source for this purpose.
- Aadhar Number is mandatory

Status of budget expenditure since 2007-08

Financial Year	Budget Expenditure (Rs. in Crores)
2007-08	1.49
2008-09	21.96
2009-10	39.99
2010-11	83.96
2011-12	104.36
2012-13	165.50
2013-14	228.13
2014-15	229.41
2015-16	267.57
2016-17	317.40

Financial Assistance to Poor Widows for performing the marriage of their daughters and Orphan Girls(earlier the name of the Scheme was known as Widow's Daughter Marriage(WDM)

Aims and Objective of Widow's Daughter Marriage Scheme:-

- To provide Financial assistance to the poor widows for performing the marriage of their daughters(up to two daughters)
- To provide Financial Assistance to the Guardians including Homes/Institutions or foster parents of an orphan girl for her marriage
- This is one time grant.
- The quantum of Assistance is Rs. 30,000/-. Her family's annual income does not exceed than Rs. 60,000/- (Rs. sixty thousand).

Eligibility Criteria:-

- The girl for whose marriage the Financial Assistance is sought should be major on the date of marriage i.e. above 18 years of age
- In case of widow applicant the Financial Assistance can be granted for performing marriage upto two daughters only.
- The application shall be submitted at least, sixty days, before or after the date of marriage.

Status of budget expenditure since 2007-08

Financial Year	Budget Expenditure (Rs. in Crores)
2007-08	5.36
2008-09	4.64
2009-10	4.09
2010-11	4.48
2011-12	7.46
2012-13	8.70
2013-14	9.08
2014-15	8.86
2015-16	10.84
2016-17	9.82